



# स्थानीय आवश्यकता एवं बाजार की मांग अनुसूचि गतिविधि का वयन करें: कलेक्टर

कलेक्टर एवं सीईओ ने गढ़शेड अंतर्गत आजीविका गतिविधियों की कार्ययोजना निर्माण का जायजा लिया।

(ब्लूरो राजेश शिवहरे) अनुपपुरा। वाटरशेड परियोजना अंतर्गत स्व सहायता समूहों द्वारा आजीविका गतिविधियों के चिन्हांकन हेतु ग्राम देवरा में आयोजित कार्ययोजना निर्माण बैठक में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने उपस्थित होकर समूहों से चर्चा कर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा व्यापार शर्मा एवं सहायक कलेक्टर महिपाल सिंह गुर्जर, वाटरशेड के जिला परियोजना अधिकारी राजेन्द्र कोसरिया, एलीएम अजीत नानियार, सहायक सचालक मर्यादा सचिवा, सहायक सचालक उद्यान सुधाप



श्रीवास्तव, डीपीएम आजीविका मिशन का मैदानी अमला उपस्थित मिशन शांक प्रताप सिंह, एसडीओ रहा। आजीविका गतिविधियों के विशेष द्वारा विभिन्न विभागों के संयुक्त दल गठित किया है, जो ग्रामों में उपस्थित होकर स्व सहायता समूहों के सदस्यों का विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुये बेहतर आजीविका गतिविधियों के वयन हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।

उक्त प्रक्रियाओं का आज कलेक्टर

व्यापार अवलोकन कर इस बात पर जरूर दिया कि स्थानीय आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता तथा उत्पादों हेतु बाजार की उपलब्धता को ध्यान में रखने से गतिविधियों के सफल होने की सभावना बढ़ जाती है, अतः गतिविधि निर्धारण में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाये।

व्यापार में व्यापार एवं प्रदान संस्था से विशाल राय एवं ग्राम पंचायत के सरपंच व वाटरशेड व आजीविका

सहायता समूहों को मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु कलेक्टर आशीष

## स्कूली वाहनों में बच्चों के सुरक्षित आवागमन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के शत् प्रतिशत पालन के संबंध में स्कूल संचालक/बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई

(ब्लूरो राजेश शिवहरे)

अनुपपुरा। पुलिस अधिकारी जिलेन्द्र सिंह पवार, अंतरिक पुलिस अधिकारी इसरार मंसूरी एवं अनुपपुरा अधिकारी सुमित केरकट्टा के निर्देशनुसार यातायात पुलिस एवं जिला परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षित आवागमन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक स्कूली वाहन में आवश्यक सुरक्षा उपकरण व सुविधाओं एवं स्कूली वाहनों के सचालन के संबंध में जारी गाइडलाइंस के पालन हेतु स्कूल संचालकों/बस संचालकों के साथ बैठक आयोजित किया गया। उक्त बैठक के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नांकित बिंदुओं के पालन हेतु समस्त स्कूल एवं बस संचालकों को तिखित में प्रतिवेदन प्रदान किया गया।

1. स्कूली वाहन का रंग पीला होना चाहिए।

2. स्कूली वाहन के आगे और पीछे स्कूल बस/स्कूल बैन लिखा होना चाहिए, यदि वाहन अनुरुद्धरण में है तो उक्त वाहन पर 'अँग स्कूल ड्यूटी' लिखा होना चाहिए।

3. स्कूल बसों में गति नियंत्रण यंत्र (L.S.D.) लगा होना चाहिए।

4. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

5. स्कूल बस/स्कूल बैन में अग्नि समन यंत्र की सुविधा होनी चाहिए।

6. स्कूल बस/ स्कूल बैन में स्कूल का नाम एवं मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए।

7. स्कूल बस में प्रवेश एवं निर्मान हेतु पृथक् पृथक् दो दरवाजे होने चाहिए।

8. स्कूल बस के ताले ठीक स्थिति में होने चाहिए।

9. स्कूल बस में सोसाइटीटी कैमरा एवं जीपीएस गोतम उपस्थित रहे।

10. स्कूली वाहन की गति 40 किलोमीटर प्रति घण्टे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. बस में सशिक्षित/ प्रशिक्षित परिचालक होना चाहिए।

12. स्कूली वाहन में क्षमता से अधिक सवारी नहीं होने चाहिए।

13. स्कूली वाहन में प्राथमिक चिकित्सा हेतु फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए।

14. स्कूली वाहन चालक का पास हेली लाइसेंस होना चाहिए तथा उसके कम से कम 5 साल भारी वाहन चालने का अनुभव होना चाहिए।

15. वाहन चालक का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन अवश्य करावाएं।

16. स्कूल बस में एक प्रशिक्षित कंडक्टर होना चाहिए यदि बस में छात्राएं सफर कर रही हों तो महिला कंडक्टर या शिक्षिका उपस्थित होने चाहिए।

17. स्कूल बस में एक अवश्यक चालक का पास हेली लाइसेंस होना चाहिए।

18. स्कूल बस के ताले ठीक स्थिति में होने चाहिए।

उक्त बैठक के दौरान याना प्रभारी यातायात ज्योति दुबे एवं जिला परिवहन अधिकारी सुंदेंग सिंह

पर जिला परिवहन अधिकारी गोतम उपस्थित रहे।

19. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

20. स्कूल बस/स्कूल बैन में अग्नि समन यंत्र की सुविधा होनी चाहिए।

21. बस में सशिक्षित/ प्रशिक्षित परिचालक होना चाहिए।

22. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

23. स्कूल बस/स्कूल बैन में अग्नि समन यंत्र की सुविधा होनी चाहिए।

24. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

25. स्कूल बस/स्कूल बैन में अग्नि समन यंत्र की सुविधा होनी चाहिए।

26. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

27. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

28. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

29. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

30. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

31. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

32. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

33. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

34. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

35. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

36. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

37. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

38. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

39. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

40. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

41. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

42. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

43. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

44. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

45. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

46. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

47. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

48. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

49. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

50. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

51. स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है।

52. स्कूल बसों में ख

# न्यायाधीशों, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ नागरिकों ने किया मतदान



जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका सिंह चौहान, में सपलीक न्यायाधीश आनंद पाठक, संभागायुक्त डा. सुदामा खाडे और पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना, उपजिला निर्वाचन अधिकारी संजीव जैन सपरिवार और निगमायुक्त हर्ष सिंह मतदान के बाद सेल्फी प्वाइंट पर फेटो खिंचाते हुये।

**ग्वालियर।** मंगलवार को व्यायाधिपति रोहित आर्या ने वरिष्ठ मतदाता, पहली बार सपनीक मतदान केंद्र मतदान करने वाले युवा, पहुँचकर अपने-अपने वोट महिला व दिव्यांगजन डाले।

उत्साहपूर्वक अपने संभाग आयुक्त डॉ. सुदाम मताधिकार का प्रयोग करने खाड़े ने पुराने रेस्ट हाउस पहुँचे। मतदान केंद्र पहुँचकर अपने

उच्च न्यायालय खण्डपीठ मताधिकार का उपयोग गतिविधि के सातवीं किया। इसी बाबू पालिस

ज्वालयर क माननाय  
न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने  
सप्तकीक केन्द्रीय विद्यालय  
क 1 दो दो सप्तकीक दो पाठक  
किया। इसा तरह पुलस  
महानिरीक्षक अरविंद  
सक्सेना ने सपरिवार पुराने  
दो पाठक सप्तकीक दो पाठक

क्र.-१ मैं बन मतदान कन्द्र पर पहुँचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसी तरह उच्च व्यायालय के अन्य व्यायाधीशण सपरिवार मतदान करने पहुँचे। सेवानिवृत्त प्रशासनिक रेस्ट हाउस मतदान कन्द्र पर वोट डाले। कलेक्टर श्रीमती लघिका चौहान ने केन्द्रीय विद्यालय क्र.-१ मतदान केन्द्र पर ईवीएम का बटन दबाकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। पुलिस अधीक्षक

## लकी झां से मतदाताओं को मिले उपहार

मतदान के जारए अपन सवधानक आधिकारा का उपयोग करने पहुंच



ग्वालियर जिले के मतदाताओं को उपहार भी मिले। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान की पहल वर्ष जिले के विभिन्न मतदान केन्द्रों पर लकी झाँड़ बॉक्स रखे गए थे। इन बॉक्स में जिन मतदाताओं ने वोट डालने के बाद अपना नाम व मोबाइल फेन नंबर लिखकर पर्चियाँ डाली हैं, उनकी पर्चियों में से दोपहर व सायंकाल में लकी झाँड़ निकाले गए। जिन मतदाताओं के लकी कूपन निकले, उन्हें बाल भवन में पुरस्कृत किया गया।

धर्मवीर सिंह ने पुराने रेस्ट हाउस मतदान केब्ड पर वोट डाला। नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने केब्दीय विद्यालय नं.-1 में अपना वोट डाला। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने सपनीक और उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव जैन ने सपरिवार अपने मताधिकार का उपयोग किया।

मतदान शुरू होने से पहले  
ही लंगी कतारें  
लोकतंत्र के महापर्व में  
अपनी भागीदारी के प्रति  
मतदाताओं में इस बार विशेष  
उत्साह देखने को मिला।

# मतदाताओं को चिड़ियाघर, फिश एक्सेरियम और वोट कलब पर मिला डिस्काउंट

**मतदान की गोपनीयता भंग  
करने पर दो मतदाताओं के  
खिलाफ एफआईआर दर्ज**

**ग्वालियर।** मतदान की पनीरीयता भंग करना ग्वालियर सदीय क्षेत्र के दो मतदाताओं को पनीरी पड़ा है। इन दोनों के खिलाफ बंधित पुलिस थानों में लोक तेनिधित्व अधिनियम के तहत अपनाई आर दर्ज कराई गई है। ग्वालियर सदीय क्षेत्र के रिटिंग अधिकारी विर्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के मतदान न्द्र क्र.-82 शासकीय प्राथमिक विद्यालय भवन डीआरपी लाइन में एक मतदाता गिराज सिंह उर्फ रिंकू परमार फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड कर्या जिसमें वह मतदान प्रक्रोष्ट के द्वारा मतदान करते हुए दिखाई दे रहा है। इससे मतदान की गोपनीयता भंग हुई है। मतदान की गोपनीय भंग करने के अपराध में रिंकू परमार के खिलाफ पुलिस थाना बहोलापुर में संबंधित सेक्टर ऑफिसर द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी तरह शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र क्र.-126 बेहटा में एक मतदाता होकम वर्मा पुत्र रामकुमार वर्मा द्वारा मतदान करते हुए इंवीएम मशीन का वीडियो बना लिया था। साथ ही इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपलोड कर दिया। जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हुई। मतदाता होकम वर्मा के खिलाफ पुलिस थाना पोहरी में मतदान की गोपनीयता भंग करने के अपराध में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

# मतदान के दौरान गड़बड़ी रोकने के लिये सक्रिय रहा पुलिस और प्रशासन

गवालियर। लोकसंघा चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसे रोकने के लिए मंगलवार को सुबह से ही मतदान केंद्र पर पुलिस जवान व अफसर तैनात हो गये थे। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन के अफसर भी मतदान केंद्रों का सुबह से ही निरीक्षण करते रहे। मतदान के दौरान पुलिस और प्रशासन का एकशन पूरे दिन दिखा। जो मोबाइल पार्टी बनाई गई थी वे बिना रुक्के लगातार भ्रमण कर अपनी मौजूदाओं का अहसास करती नजर आईं।



## शत फैलाने वाले महिला से दुष्कर्म का रुद्धि तो हवाही पाकड़े पर्यास, आरोपी पकड़ा

# फ्यरिंग कर दहशत फैलाने वाले दस-दस हजार के दो इनामी पकड़े

**गवालियर।** गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिण्टो पार्क इलाके में ताबड़तोड़ फयरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो दस-दस हजार रुपए के इनमी बदमाशों को मंगलवार की सुबह पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को हिरासत में लेकर उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी क्राइम शियाज केएम ने बताया कि गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिण्टो पार्क इलाका निवासी सौरभ सिंह तोमर के घर पर आधा दर्जन बदमाशों ने बीते दिनों ताबड़तोड़ फयरिंग की थी। फयरिंग से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। फयरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। साथ ही बदमाशों की तलाश के लिए महाराजपुरा, पुरानी छावनी, गोला का मंदिर और क्राइम ब्रांच की टीमें उनकी तलाश के लिए लगाई गई थीं। बीते तीन दिन से पुलिस की टीमें उनकी तलाश में लगी हुई थीं, लेकिन उनका सुराग नहीं मिल पा रहा था और तीन दिन से आरोपी किसी के संपर्क में नहीं थे।

मंगलवार की सुबह जब वह अपने ठिकाने से बाहर आए तो पुलिस ने उन्हें दबोच लिया, अब पुलिस पूछताछ करने में जुट गई है कि उनके साथ बारदात में कौन-कौन शामिल था और उसके प्रयोग का क्या उपयोग था।

था और उन्होंने कहां पर पनाह ली थी, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम दिनेश सिंह और समाप्त उर्फ संजीव गुर्जर बताए हैं। इनके इशारे पर ही इनके साथियों और इन्होंने फयरिंग कर ताबड़तोड़ दहशत फैलाई थीं। पकड़े गए बदमाशों का पूरा डाटा पुलिस खंगल रही है, जिससे इन्हें शह देन वाले बदमाशों पर भी कड़ाई की जा सके, जिससे वह भविष्य में किसी बदमाश की मदद नहीं कर सकें।

गौरतलब है कि पिण्टो पार्क निवासी सौरभ सिंह तोमर का बीएसएफ कॉलोनी निवासी संजीव गुर्जर से पुराना विवाद चल रहा है।

शुक्रवार को सौरभ तोमर के घर पर दोनों पक्ष राजीनामा की बातचीत के लिए एकत्रित हुए थे और वहां पर संजीव, दिनेश सिंह ने अपने साथियों के साथ द्वानदन फयरिंग कर दी। फयरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी वहां से भाग निकले। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। इस मामले में एसपी धर्मवीर सिंह का कहाना है कि गोला का मंदिर इलाके में फयरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो आरोपी पकड़े गए हैं, इन पर दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित था। शेष आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।

बिजौली थाना क्षेत्र के रसीदपुर निवासी 32 वर्षीय महिला ने शिकायत की है कि बीती रात नौ बजे खाना खाने के बाद वह सो गई थी और रात करीब साढ़े 11 बजे उसे मवेशियों की आवाज आई तो वह बाहर आई तो देखा तभी एक युवक ने उसका हाथ पकड़ कर उसे पटक लिया और गलत काम करने का प्रयास किया, उसने शेर मचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसका मुंह दबा लिया और जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी उसके गांव में रहने वाला सुजान सिंह पुत्र उम्मेद कुशवाह था। किसी तरह खुद को बचाकर पीड़िता ने शेर मचाया तो उसकी आवाज सुनकर उसका पति वहां पर आया तो आरोपी ने पति वही की मारपीट कर भाग गया। जब आरोपी भागने के बाद पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

**गवालियर।** गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिण्टो पार्क इलाके में ताबड़तोड़ फयरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो दस-दस हजार रुपए के इनमी बदमाशों को मंगलवार की सुबह पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को हिरासत में लेकर उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी क्राइम शियाज केएम ने बताया कि गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिण्टो पार्क इलाका निवासी सौरभ सिंह तोमर के घर पर आधा दर्जन बदमाशों ने बीते दिनों ताबड़तोड़ फयरिंग की थी। फयरिंग से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। फयरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। साथ ही बदमाशों की तलाश के लिए महाराजपुरा, पुरानी छावनी, गोला का मंदिर और क्राइम ब्रांच की टीमें उनकी तलाश के लिए लगाई गई थीं। बीते तीन दिन से पुलिस की टीमें उनकी तलाश में लगी हुई थीं, लेकिन उनका सुराग नहीं मिल पा रहा था और तीन दिन से आरोपी किसी के संपर्क में नहीं थे।

मंगलवार की सुबह जब वह अपने ठिकाने से बाहर आए तो पुलिस ने उन्हें दबोच लिया, अब पुलिस पूछताछ करने में जुट गई है कि उनके साथ बारदात में कौन-कौन शामिल था और उसके प्रयोग का क्या उपयोग था।

था और उन्होंने कहां पर पनाह ली थी, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम दिनेश सिंह और समाप्त उर्फ संजीव गुर्जर बताए हैं। इनके इशारे पर ही इनके साथियों और इन्होंने फयरिंग कर ताबड़तोड़ दहशत फैलाई थीं। पकड़े गए बदमाशों का पूरा डाटा पुलिस खंगल रही है, जिससे इन्हें शह देन वाले बदमाशों पर भी कड़ाई की जा सके, जिससे वह भविष्य में किसी बदमाश की मदद नहीं कर सकें।

गौरतलब है कि पिण्टो पार्क निवासी सौरभ सिंह तोमर का बीएसएफ कॉलोनी निवासी संजीव गुर्जर से पुराना विवाद चल रहा है।

शुक्रवार को सौरभ तोमर के घर पर दोनों पक्ष राजीनामा की बातचीत के लिए एकत्रित हुए थे और वहां पर संजीव, दिनेश सिंह ने अपने साथियों के साथ द्वानदन फयरिंग कर दी। फयरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी वहां से भाग निकले। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। इस मामले में एसपी धर्मवीर सिंह का कहाना है कि गोला का मंदिर इलाके में फयरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो आरोपी पकड़े गए हैं, इन पर दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित था। शेष आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।

बिजौली थाना क्षेत्र के रसीदपुर निवासी 32 वर्षीय महिला ने शिकायत की है कि बीती रात नौ बजे खाना खाने के बाद वह सो गई थी और रात करीब साढ़े 11 बजे उसे मवेशियों की आवाज आई तो वह बाहर आई तो देखा तभी एक युवक ने उसका हाथ पकड़ कर उसे पटक लिया और गलत काम करने का प्रयास किया, उसने शेर मचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसका मुंह दबा लिया और जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी उसके गांव में रहने वाला सुजान सिंह पुत्र उम्मेद कुशवाह था। किसी तरह खुद को बचाकर पीड़िता ने शेर मचाया तो उसकी आवाज सुनकर उसका पति वहां पर आया तो आरोपी ने पति वही की मारपीट कर भाग गया। जब आरोपी भागने के बाद पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

# संपादकीय

## भ्रष्टाचार के तहखाने में जोटों की गड़ी



क्या वजह है कि काले धन पर काबू पाने के लिए बनाए गए कायदे-कानून को लेकर सख्ती के दबों के बावजूद भ्रष्ट आचरण में लिपि नेता या अफसर को कई-कई करोड़ रुपए नाद अनें घरों में छिपा कर रखने में कोई खोल नहीं होता? लंबे समय से देश भर में छिपाकर अपियान चल रहा है। जाच एजरियां लगातार सक्रिय हैं। मगर तमाम कावयों के बावजूद इस समस्या से पाना बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ज्ञारखंड की राजधानी रांची में राज्य सरकार में मंत्री अलमगीर अलम के निजी सचिव के घर सहायक के घर छापेमारी की, जिसमें पैतीस करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। खबर के मात्राक, यह छापेमारी ज्ञारखंड ग्रामिण विभाग के मुख्य अधिकारी से जुड़े मामले में हुई है, जिसे ईडी ने पिछले वर्ष धनशाश्वत के मामले में गिरावर्ती किया था। धनशाश्वत का सिर्फ मंत्री के निजी सचिव और उसके घर सहायक से भी जुड़ा हुआ था, इसलिए ईडी ने उसे जांच और कार्रवाई के दायर में लिया। सबल है कि इतनी बड़ी रकम काले धन के रूप में किसी के घर में पढ़ी थी, तो इस तरह का भ्रष्टाचार बिना किसी उच्च स्तरीय संस्कृत के चलना कैसे संभव है!

सबल यह भी है कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अपियान चलाने और इनके खाते के लिए हर स्तर पर कार्रवाई करते हुए पिछले आठ-वर्षों में जिसने बादे और दावे किए गए, उसके मुकाबले कामयाकी कहाँ दिखाई है! अखिर क्या वजह है कि हर कुछ दिनों बाद किसी नेता या अधिकारी के घर या दफ्तर में छापेमारी जारी रखते हैं, वहाँ से करोड़ रुपए नाद बरामद होते हैं? समझना मुश्किल है कि जाच एजरियों की सघन कार्रवाई के बीच दीवार फोड़ कर कानून के रूप में दिया जाए। यह कानून के बावजूद भ्रष्ट आचरण में लिपि नेता या अफसर को कई खोल नहीं होता? लंबे समय से पाना बड़ी चुनौती बनी हुई है।







